B.Ed-I

Date
15 April 2020

Sub- Philosophical & Sociological Perspectives of Education.

मौलिक कर्तव्य

26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों को केवल मौलिक अधिकार ही प्रदान किए गए थे। सन् 1976 में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ-अ भाग जोड़कर अनुच्छेद 51-A में इनका वर्णन किया गया है —

I. संविधान को स्वीकार करना और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।

II. उन महान् आदर्शों का अनुसरण तथा पालन करना, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक थे।

III. भारत की प्रभुसत्ता, सुरक्षा और अखण्डता का समर्थन और संरक्षण करना।

IV. देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयं को अर्पित करना।

V. धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्रता आदि से परे रहकर भारत के सभी लोगों में भाईचारे और मित्रता की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए अपमान-जनक क्रियाओं का त्याग करना।

Scanned with CamScanner

VI. अपनी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध परंपरा का संरक्षण करना और जीव जन्तुओं के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करना।

VII. राष्ट्रीय पर्यावरण जिसमें झील, नदियाँ और जंगली जानवर सम्मिलित हैं का संरक्षण एवं सुधार करना और जीव-जन्तुओं के प्रति प्रेम-भाव प्रदर्शित करना।

VIII. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जाँच एवं सुधार करने की भावना विकसित करना।

IX. जन सम्पत्ति का संरक्षण करना और हिंसा का त्याग करना।

X. वैयक्तिक एवं सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि राष्ट्र निरंतर रूप से उद्यम एवं सफलता के उच्च स्तर की ओर अग्रसर होता रहे।

XI. सन् 2002 के 86वें संविधान संशोधन के अनुसार माता या अभिभावकों का यह कर्त्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षित बनाना।

Scanned with CamScanner